सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 502 राँची, बुधवार, 12 नवम्बर, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2025

संख्या-एल0जी0-02/2025-47/लेज०,-- झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-04/11/2025 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम, 2025

(झारखण्ड अधिनियम- 10, 2025)

विषय-सूची

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ**

2. **इस अधिनियम की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो**

3. **नोडल एजेंसी**

4. **नोडल एजेंसी की शक्तियाँ एवं कार्य**

5. **घोषणा और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र दाखिल करना**

6. **अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव**

8. **छूट**

9. **सदभावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण**

10. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना**

11. **बचत**

12. **अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति**

13. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरण करने की शक्ति

14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

15. नियम बनाने की शक्ति

16. निरसन और व्यावृत्ति

झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम, 2025

समावेशी आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य का लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह समीचीन है कि कुछ अनुमोदनों और निरीक्षणों से, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सुगम संचालन एवं स्थापना में छूट दी जाय।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट प्रदान करना एवं उसके आनुषंगिक मामलों के निष्पादन हेतु झारखण्ड विधानसभा, भारत गणराज्य के पचहतरवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभः

(1) यह अधिनियम ''झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम **2025**'' कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से प्रवृत होगा जिस दिन यह झारखण्ड सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होगा।

2. इस अधिनियम की परिभाषाएँ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः

(क) '' अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के तहत जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र।

(ख) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम 2025

(ग) ''अनुमोदन'' से अभिप्रेत है राज्य में किसी उद्यम की स्थापना या संचालन के लिए अनुसूची में उल्लेखित किसी राज्य के कानून के तहत आवश्यक कोई अनुमति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, मंजूरी, सहमति, अनुमोदन, पंजीकरण, लाईसेंस और समरूप मामले।

(घ) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार का कोई भी विभाग अथवा एजेंसी, स्थानीय प्राधिकार, वैधानिक निकाय, राज्य के स्वामित्व वाला निगम, पंचायती राज संस्थान, नगरपालिका, नगर विकास प्राधिकार एवं राज्य के कानून द्वारा गठित राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैसे सभी प्राधिकार अथवा एजेंसी जिन्हें राज्य के तहत उद्योगों की स्थापना अथवा संचालन हेतु स्वीकृति निर्गत करने का अधिकार एवं दायित्व प्रदत है।

ड.) ''संयुक्त आवेदन प्रपत्र'' का अर्थ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से है जो झारखण्ड एकल खिड़की मंजूरी अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित है जिसमें सभी मंजूरी के लिए एक व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्र शामिल हैं।

(च) ''विभाग'' से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का उद्योग विभाग।

(छ) ''उद्यम'' का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ई) में है (सं0 2006 का 27)।

(ज) ''नोडल एजेंसी'' का अर्थ है धारा 3 में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी।

(i) 'अधिसूचना' का अर्थ है राजपत्र (ई-गजट), झारखण्ड में प्रकाशित अधिसूचना।

(ii) 'विहित' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(झ) 'अनुसूची' का अर्थ है इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची।

(´) 'राज्य सरकार' का अर्थ है झारखण्ड राज्य सरकार।

(ट) 'उद्योग आधार' का तात्पर्य औद्योगिक इकाईयों की ऐसी पंजीकरण संख्या से है, जो समय-समय पर केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निर्धारत की जाती है।

3. नोडल एजेंसीः-

(1) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लीयरेंस ऐक्ट 2015 (अधिनियम-10, 2016) में यथा परिभाषित सिंगल विण्डो क्लीयरेंस कमिटी के लिए एम0 एस0 एम0 ई0 निदेशालय इस ऐक्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी होगी।

(2) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन झारखण्ड में सिंगल विण्डो क्लीयरेंस अधिनियम 2015 (झारखण्ड अधिनियम-10, 2016) में परिभाषित जिला एम0 एस0 एम0 ई0 केन्द्र (DMC) इस अधिनियम परियोजनों के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र की जिला स्तरीय नोडल एजेंसी होगी।

4. नोडल एजेंसी की शक्तियाँ एवं कार्यः-

1) सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन नोडल एजेंसी की शक्तियाँ और कार्य निम्नरूपेण होंगे-

(क) राज्य में उद्यमों की स्थापना में सहायता एवं सुविधा प्रदान करना।

(ख) इस अधिनियम के तहत प्राप्त आशय की घोषणा और जारी किये गये पावती प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड रखना।

(ग) राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, इस अधिनियम की धारा-7 में उल्लेखित जिम्मेदारियों से उद्यम द्वारा विचलन से संबंधित जानकारी के मामले में संबंधित विभाग/एजेंसी को पूछताछ/ निरीक्षण के लिए निर्देशित/अनुरोध करेगी।

2) सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कार्य सौंप सकती है जो वह उचित समझें।

5. घोषणा और अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र दाखिल करना-

(1) कोई भी व्यक्ति जो उद्यम शुरू करने का इरादा रखता है वह नोडल एजेंसी को उद्यम शुरू करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

स्पष्टीकरणः- कोई भी उद्यम, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले किसी भी अनुमोदन को प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकार के पास गया है और वह इस अनुमोदन को इस अधिनियम की प्रभावी तारीख तक प्राप्त नहीं किया है, वह भी इस उपधारा के अन्तर्गत उद्यम शुरू करने के इरादे की घोषणा प्रस्तुत करने का विकल्प भी चुन सकता है।

(2) उद्यम, उद्योग विभाग की सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के वेबसाईट पर आशय की घोषणा आवेदन जमा करके कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, उद्यम सरकार द्वारा जारी वैध फोटो आई0डी0 प्रमाण जैसे-बैंक फोटो पासबुक, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड के साथ तीसरी मंजिल, नेपाल हाऊस बिल्डिंग में स्थित उद्योग विभाग के सिंगल विण्डो कार्यालय में जाकर आशय की घोषणा भर सकता है।

(3) इस अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिए कोई आवेदन या कोई अन्य अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

(4) सभी प्रकार से पूर्ण घोषणा प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी तुरंत उस उद्यम को एक यथा निर्धारित पावती प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

6. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र का प्रभाव-

(1) उद्यम को आशय की घोषणा की पुष्टि के प्रमाण के रूप में एक कम्प्यूटर जनित अभिस्वीकृति प्राप्त होगा।

(2) धारा-5 के तहत निर्गत अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र, सभी उद्देश्यों के लिए ऐसा प्रभाव रखेगा मानो कि उस उद्यम को पावती की सूचना से अगले तीन वर्षों तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि अथवा संचालित होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

(क) बशर्ते कि अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उद्यम ऐसे अनुमोदन के लिए सभी आवश्यकताओं का पालन करेगा।

(ख) बशर्ते कि जहां भी ऐसी योजना लागू है अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र किसी व्यक्ति को मास्टर प्लान में निर्दिष्ट भूमि उपयोग से इतर में भूमि का उपयोग करने का अधिकार नहीं देगा।

(ग) बशर्ते कि यदि उद्यम पूर्ववर्ती परन्तुक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है तो कानून के तहत उद्यम के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई की सकेगी।

(3) तीन वर्ष की अवधि के दौरान कोई भी सक्षम पदाधिकारी किसी भी अनुमोदन के उद्देश्य से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा जबतक की जीवन और सुरक्षा को खतरा न हो। यदि कतिपय कारणों से किसी उद्यम का निरीक्षण करना हो तो जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

7. उद्यम की जिम्मेदारियाँ-

(1) अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की वैधता की तिथि से छः महीने के भीतर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) उद्यम, प्रासंगिक सुरक्षा कोड में निर्धारित मानकों को बनाये रखेगा और कर्मचारियों या श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन तैयारी बनाये रखेगा।

(3) उद्यम ऐसी किसी भी विनिर्माण और सेवा संबंधी क्रिया-कलाप में संलग्न नहीं रहा हो जो किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य या कानून व्यवस्था के तहत निषिद्ध है या जो गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

(4) उद्यम आशय की घोषणा द्वारा प्रदान की गयी जानकारी में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

8. छूट-

सरकार या उसके अधीन कोई भी प्राधिकार जिन्हें किसी केन्द्रीय अधिनियम के तहत किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण या इनसे संबंधित किसी प्रावधान से छूट देने का अधिकार हो तो सरकार या कोई प्राधिकार, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार का छूट देने की शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे।

9. सदभावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण-

इस अधिनियम या उसके तहत बनाये गये किसी भी नियम के तहत सदभावना से किये गये या किये जानेवाले किसी भी कार्य के लिए सरकार या नोडल एजेंसी का कर्मचारी, नोडल एजेंसी या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

10. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-

राज्य के किसी भी अन्य कानून में निहित प्रावधानों में कुछ भी असंगत होने कि स्थिति में इस अधिनियम का प्रावधान प्रभावी होगा।

11. बचत-

इस अधिनियम के धारा-6 और 7 के प्रावधानों के अधीन अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गयी समय-सीमा को छोड़कर किसी भी उद्यम को उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों या उसके तहत निर्दिष्ट किसी भी नियामक उपायों और मानकों को आवेदन से छूट देने के रूप में नहीं माना जायेगा।

12. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति-

राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुसूची की किसी भी प्रविष्टि को जोड़ या हटा सकती है अथवा अनुसूची में संशोधन कर सकती है तथा जिसके बाद अनुसूची को संशोधित माना जायेगा।

13. अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरण करने की शक्ति-

अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र को निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रतिसंहरण किया जा सकता है-

(1) इरादे की घोषणा में जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत करना।

(2) अधिनियम और नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।

(3) यदि उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं रह जाता है।

(4) यदि उद्यम आशय की घोषणा में उल्लेखित वि-निर्माण या सेवा गतिविधि का स्थान बदलता है।

(5) यदि विलय या विभाजन या पृथककरण या अधिग्रहण या समामेलन के कारण उद्यम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और उद्यम ऐसी व्यवस्था का हिस्सा होता है।

14. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति-

(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सामान्य या आधिकारिक राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

परन्तुक इस प्रकार का कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तिथि से तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत निर्गत नहीं की जा सकेगी।

(2) इस धारा के तहत निर्गत किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधानसभा के समक्ष यथाशीघ्र रखा जायेगा।

15. नियम बनाने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम या अधिनियम का कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये प्रत्येक नियम को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

16. निरसन और व्यावृत्ति -

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में विभिन्न औद्योगिक नीतियों और नियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या कोई कार्रवाई इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के तहत वैध रूप से की गयी मानी जायेगी।

अनुसूची

(धारा-2 (झ) एवं धारा 12 देखें)

क्र॰	मंजूरियों, अनुमोदनों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, पंजीकरणों की सूची	विभाग/एजेंसी का नाम	शासी अधिनियम/नियम/उप नियम/अधिसूचना
1.	व्यापार लाईसेन्स	शहरी विकास एवं आवास विभाग	झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011, म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस 2017 के लिए नियम एवं विनियम का प्रारूप
2.	दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के अंतर्गत पंजीकरण	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण	विभाग दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 अंतर्गत पंजीकरण

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2025

संख्या- एल0जी0-02/2025-48/लेज0-- झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-04/11/2025 को अनुमत झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) अधिनियम, 2025 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SPECIAL CONCESSION) ACT, 2025

(**Jharkhand Act- 10, 2025**)

An Act with a view to promote inclusive economic growth and employment generation, the State aims to address the specific needs of the Micro, Small and Medium enterprises and to promote entrepreneurship. It is expedient to give effect to exemption from certain approvals and inspections required for establishment and operation of micro, small and medium enterprises.

To provide for exemption from certain approvals and inspections for establishment and operation of the micro, small and medium enterprises in Jharkhand and matters connected therewith or incidental there to be it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand in the Seventy fifth Year of the Republic of India as follows:

1. Short Title, extent and commencement:

(1) This Act may be called the Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprises (Special Concession) Act, 2025

(2) It shall extend to the whole of the state of Jharkhand

(3) It shall come into force from the date on which it is published in the Gazette of the Government of Jharkhand.

2. Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires:

(a) “Acknowledgement Certificate” means the acknowledgement certificate issued under section 5;

(b) “Act” means the Jharkhand Micro, Small and Medium Enterprises (Special Concession) Act, 2025;

(c) “Aproval” means any permission, no objection certificates, clearance, consent, approval, registration, licence and the like, required under any State law as mentioned in THE SCHEDULE for the establishment or operation of an enterprise in the State;

(d) “Competent Authority” means any department or agency of the Government, a local authority, statutory body, State owned corporation, Panchayati Raj Institution, Municipality,Urban Development Authorities or any other authority or agency constituted or established by or under any State Law or under administrative control of the Government, which is entrusted with the powers or responsibilities to grant or issue approval for establishment or operation of an enterprise in the State;

(e) “Combined Application Form” means such electronic form as may be prescribed under the Jharkhand Single Window Clearance Act, 2015 which includes individual application forms for all clearances;

(f) “Department” means the Department of Industries of the Government of Jharkhand;

(g) “Enterprise” shall have the same meaning as in Section 2 (e) of The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development Act, 2006 [No. 27 of 2006]; of Govt. of India.

(h) “Nodal agency” means the nodal agency referred to in Section 3;

(i) “notification” means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Jharkhand;

(j) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(k) “SCHEDULE” means THE SCHEDULE appended to this Act;

(l) “State Government” means the State Government of Jharkhand;

(m) “Udyog Aadhar” means such registration number of industrial units as are laid down by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time;

3. Nodal agency

4.

(1) Subject to superintendence, direction and control of the Government, Single Window Clearance Committee (SWCC) as defined in JHARKHAND SINGLE WINDOW CLEARANCE ACT,2015 (Jharkhand Act-10,2016), Directorate MSME shall be the State level Nodal Agency for the purpose of this Act.

(2) Subject to superintendence, direction and control of the Government and the District Executive Committee (DEC) as defined in JHARKHAND SINGLE WINDOW CLEARANCE ACT, 2015 (Jharkhand Act-10,2016) District MSME Centre (DMC) of different areas, shall be the district level nodal agency for the areas under their jurisdiction for the purposes of this Act.

5. Powers and functions of nodal agency

(1) Subject to the superintendence, direction and control of the Government, the powers and functions of the nodal agency shall be as follows:

(a) to assist and facilitate establishment of enterprises in the State; and

(b) to maintain the record of declaration of intent received and Acknowledgement Certificate issued under this Act.

(c) State level Nodal Agency to direct the concerned department / agency for enquiry/inspection in case of information pertaining to deviation by Enterprise from the Responsibilities as mentioned in the Section 7 of this Act.

(2) The Government may assign such other powers and functions to the nodal agency as it may deem fit for giving effect to the provisions of this Act.

6. Filing of declaration and Acknowledgement Certificate

(1) Any person who intends to start an enterprise may furnish to the nodal agency a declaration of intent to start an enterprise.

Explanation: Any enterprise that has moved to the Competent Authority to obtain allor any of the approval (s) before the commencement of this Act and has not received it on the date of commencement, may also opt to furnish declaration of intent to start an enterprise under this sub-section.

(2) Enterprise can apply by submitting Declaration of Intent on the website of Single Window clearance system of Department of Industries. Alternatively, enterprise may fill the Declaration of Intent by visiting the Single Window office of Department of Industries, 3rd

Floor, Nepal House Building along with either of the valid photo id proof issued by the Government, viz-a-viz bank photo passbook, voter ID Card, passport, driving license, PAN card. Only in case of special circumstances or failure of electronic system due to unforeseen circumstances, the enterprise may submit Declaration of Intent in prescribed form, in physical format to the Single Window Office of Department of Industries.

(3) There will be no application or any other additional fee for applying under the Act.

(4) On receipt of a declaration complete in all respects, the nodal agency shall, forthwith, issue an Acknowledgement Certificate, in such form as may be prescribed, to the enterprise.

7. Effect of the Acknowledgement Certificate

(1) The enterprise will receive a computer-generated Acknowledgement Certificate for confirmation of receipt of declaration of intent.

(2) An Acknowledgement Certificate issued under section 5 shall, for all purposes, have effect as if it is an approval for a period of three years from the date of its issuance till the date of commencement of commercial production or operation, whichever is earlier:

a. Provided that subsequent to the issuance of the Acknowledgement Certificate, the enterprise shall adhere to all the requirements for such approval.

b. Provided that the Acknowledgement Certificate shall not entitle a person to use a land in deviation to the land use specified in the master plan wherever such plan is in force.

c. Provided further that in case the enterprise fails to adhere to the requirements of the preceding provison, action as required by or under the law may be initiated against the enterprise.

(3) During the period of three years, no Competent Authority shall undertake any inspection under the laws as mentioned in schedule as appended for the purpose of, or in connection with, any approval unless there is threat to life and safety. In case an enterprise has to be inspected for certain reasons the permission of the District Magistrate/Director MSME shall be obtained.

8. Responsibilities of the Enterprise

(1) After the expiry of the Acknowledgement Certificate, the enterprise will have to obtain required approvals, within six months from the validity date of Acknowledgement Certificate.

(2) The enterprise shall maintain the standards prescribed in the relevant safety codes and maintain emergency preparedness for safety and health of the employees or workers.

(3) The enterprise shall not engage in any manufacturing and service activity which is prohibited under any law or which may pose serious threat to public health or law and order.

(4) The enterprise shall inform any change in the information provided by it in the Declaration of Intent.

9. Exemption

Where the Government or any authority under it is empowered to exempt any enterprise from any approval or inspection or any provisions in relation thereto under any Central Act, the Government or any such authority, as the case may be, shall, subject to the provisions of such Central Act, exercise such powers to grant such exemption to an enterprise established in the State for at least a period of three years from the date of issuance of the Acknowledgement Certificate.

10. Protection of action taken in good faith

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or Nodal Agency employee of the Government, Nodal Agency or any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made thereunder.

11. Act to have an overriding effect

The provisions of this Act shall have effect, not withstanding anything inconsistent therewith contained in any State law as mentioned in schedule appended for the time being in force.

12. Savings

Subject to the provisions of Sections 6 and 7, nothing contained in this Act shall be construed as exempting any enterprise from the application of the provisions of any law for the time being in force, or any regulatory measures and standards specified thereunder, except to the extent expressly provided in this Act.

13. Power to amend THE SCHEDULE

The State Government may, by notification add to or delete any entry of THE SCHEDULE, or otherwise amend THE SCHEDULE, and thereupon THE SCHEDULE shall be deemed to have been amended.

14. Power to revoke Acknowledgement Certificate

Acknowledgement Certificate can be revoked under the following conditions:

I. Wilful submission of wrong information in Declaration of Intent.

II. Breach or contravention of any of the provisions of the Act and the rules.

III. If the enterprise cease to be a micro, small or medium enterprise.

IV. If the enterprise changes the location of manufacturing or service activity asmentioned in Declaration of Intent.

V. If the enterprise ceases to exist due to merger or split or demerger or acquisition or amalgamation and the enterprise is a part of such arrangement.

15. Power to remove difficulties.

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the said difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

16. Power to make rules

(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature by the State Government.

17. Repeal and savings.

Anything done or any action taken under different industrial polices and rules regarding *micro, small and medium enterprises*, before the commencement of this act, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

THE SCHEDULE

[See section 2(k) and section 12]

S N	List of Clearances. Approvals, NOCs, Registration	Name of the Department/ Agency	Governing Act/ Rule/ Bye-laws/ Notification
1	Trade License	Urban Development and Housing Department	Jharkhand Municipal Act 2011,Draft of Rule and regulation for Governing Municipal Trade Licence 2017
2	Registration under The Shops and Establishments Act, 1953	Department of Labour, Employment, Training	Jharkhand Shops & Establishment Act 1953

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 502 - 50